

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(2)नविवि / बाडमेर / 2020

जयपुर, दिनांक:—

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-की उप धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा, निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके समुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है:—

क्र. सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	अधिकारी का पद नाम
2	3	
1	नगर परिषद, बाडमेर	आयुक्त, नगर परिषद, बाडमेर

शेष नगरीय क्षेत्र में सचिव, नगर विकास न्यास, बाडमेर हारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

भवदीय,

४१/-
(त्रिमुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
- आयुक्त, नगर परिषद, बाडमेर।
- सचिव, नगर विकास न्यास, बाडमेर।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

४३
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय